यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी के माह 11/2016 से 05/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 30.06.2018 से 06.07.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द, पर्यवेक्षक एवं श्री दिनेश नरवरिया, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 16.11.2016 से 28.11.2016 तक श्री अविनाश चन्द्र कटियार, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 08/2014 से 10/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2016 से 05/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**

इकाई के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 250 से अधिक जनसंख्या वाले असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु स्वीकृत मोटर मार्ग में वनभूमि हस्तान्तरण, मुआवजा, क्षतिपूर्ति, मोटर मार्ग निर्माण एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र जनपद टिहरी गढवाल के तीन विकास खण्डों क्रमशः चम्बा, थौलधार एवं जौनपुर हैं, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर–स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	42.50	–	1070.91	917.95	145.93	142.94	–	195.46	–	2.99
2016–17	106.12	–	916.55	889.16	151.85	151.85	–	133.51	–	–
2017–18	65.32	–	3483.09	2815.54	179.48	178.22	–	732.87	–	1.26
2018–19 (5/2018)	72.86	–	199.92	171.02	57.83	43.77	–	101.76	–	14.06

नोट :– प्रत्येक वर्ष बचत की धनराशि (राज्य मद को छोडकर) यू0आर0आर0डी0ए0 एवं कोषागार को समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	पी0एम0जी0एस0वाई0	–	891.01	803.06	–	87.95
2016–17		–	727.03	661.85	–	65.18
2017–18		–	3339.98	2680.41	–	659.57
2018–19 (5/2018)		–	198.00	171.02	–	26.98

नोट :– प्रत्येक वर्ष बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 को समर्पित की गई।

(iii) इकाई को बजट आबंटन गैर–स्थापना मद में शासन द्वारा कोषागार के माध्यम से तथा स्थापना मद में यू0आर0आर0डी0ए0 द्वारा होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''ब'' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

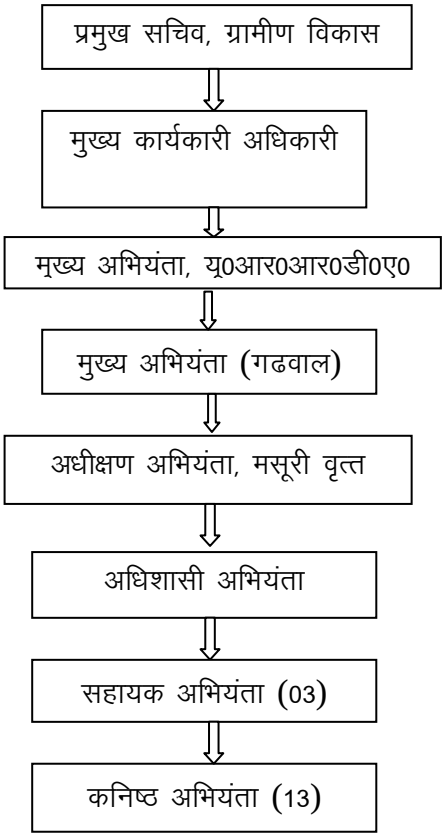

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0 जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 एवं मार्च 2018 को विस्तृत जॉच हेतु चयन उसके अधिकतम व्यय एवं वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया। लेखापरीक्षा अवधि में संचालित 16 निर्माण कार्यों में से 12 निर्माण कार्यों (पूर्ण–06 एवं प्रगतिरत–06) को विस्तृत विश्लेषण जॉच हेतु चयन किया गया। प्रतिचयन माह 05/2018 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में मार्च 2017 तक का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र–संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी सितम्बर 2017 तक की गई।

5. फार्म 51 माह 05/2018 तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष शून्य है।

6. खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष के माह 05/2018 के अन्त में : शून्य

7. विगत लेखापरीक्षा से अब तक श्री पृति सिंह चौहान, खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध रहे।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–1: निर्धारित दर–अनुसूची के विपरीत उच्च दर पर भुगतान किए जाने के परिणास्वरुप ठेकेदारों को रु0 100.97 लाख का अधिक भुगतान।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देशिका के पैरा 8.9 एवं 8.10 के प्रावधानों के अनुसार योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों के विस्तृत आगणन राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के लिए वार्षिक आधार पर निर्धारित राज्य दर–अनुसूची पर आधारित होना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी के चयनित मोटर मार्गों के लेखा–अभिलेखों की जॉच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आएः–

1. दो मोटर मार्गों (बंगार से छनाण एव ंनागणी से भाटूसैंण) के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0), प्राविधिक स्वीकृति के विस्तृत आगणन एवं निविदा हेतु शिड्यूल ''ब'' में मार्ग की आधार सतह हेतु जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री {तकनीकी विशिष्टियों के क्लॉज 408 क्रम संख्या 4.11 (1) (ii)} का प्रावधान किया गया था, परन्तु दरों हेतु जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री के स्थान पर उच्च ग्रेड वाली मद (GSB by providing well graded material) की दरें[1] ली गई थी। प्रखण्ड द्वारा जी0एस0बी0 उच्च ग्रेड की दरों (रु0 1238.40/1235.60 एवं रु0 1264.60) पर निविदा आमंत्रित की गई, जिसके अनुरुप ठेकेदारों द्वारा अपनी दरें (रु0 1060.00/1055.00 एवं रु0 1210.00) दी गई। यदि प्रखण्ड इन मोटर मार्गों में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री की दर–अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों (रु0 331.90 एवं रु0 479.40) पर निविदा करता तो ठेकेदार उसके अनुरुप ही बोली लगाता तथा उसी के अनुरुप भुगतान किया जाता। प्रखण्ड द्वारा ऐसा न कर उच्च दर को निविदा में सम्मिलित कर विशिष्टियों का उल्लंघन किया गया। इसप्रकार, मोटर मार्गों में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री प्रयुक्त किए जाने के बावजूद जी0एस0बी0 उच्च ग्रेड की दरों से भुगतान किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 53.67 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

2. दो मोटर मार्गों (तेवा से औतण एवं थत्यूड से अज्ञारना) के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) एवं प्राविधिक स्वीकृति के विस्तृत आगणन में मार्ग की आधार सतह हेतु जी0एस0बी0 उच्च ग्रेड (GSB by providing well graded material) का प्रावधान किया गया था तथा जी0एस0बी0 उच्च ग्रेड की दरें[2] ली गई थी। प्रखण्ड द्वारा निविदा हेतु निर्मित शिड्यूल ''ब'' में जी0एस0बी0 उच्च ग्रेड के स्थान पर जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री (Granular Sub-base sourse with local material) का प्रावधान मोर्ड (MORD) आई0आर0सी0 के क्लॉज 401.40 एवं तकनीकी विशिष्टियों के क्लॉज 408 क्रम संख्या 4.11 (1) (ii) के आधार पर कर जी0एस0बी0 उच्च ग्रेड की दरों (रु0 1238.40/1235.60 एवं रु0 1020.90) पर निविदा आमंत्रित की गई, जिसके अनुरुप ठेकेदारों द्वारा अपनी दरें (रु0 1188.48/1186.20 एवं रु0 1020.90) दी गई। यदि प्रखण्ड इन मोटर मार्गों में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री की दर–अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों (रु0 331.90 एवं रु0 330.50) पर निविदा करता तो ठेकेदार उसके अनुरुप ही बोली लगाता तथा उसी के अनुरुप भुगतान किया जाता। प्रखण्ड द्वारा ऐसा न कर उच्च दर को निविदा में सम्मिलित कर विशिष्टियों का उल्लंघन किया गया। इसप्रकार, मोटर मार्गों में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री प्रयुक्त किए जाने के बावजूद जी0एस0बी0

---

[1] बंगार से छनाण : जी0एस0बी0 प्रथम सतह रु0 1238.40, द्वितीय सतह रु0 1235.60 तथा ंनागणी से भाटूसैंण : जी0एस0बी0 प्रथम/द्वितीय सतह रु0 1264.60।

[2] तेवा से औतण : जी0एस0बी0 प्रथम सतह रु0 1238.40, द्वितीय सतह रु0 1235.60 तथा थत्यूड से अज्ञारना : जी0एस0बी0 प्रथम/द्वितीय सतह रु0 1020.90।

उच्च ग्रेड की दरों से भुगतान किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 47.30 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

उपरोक्त 04 मोटर मार्गों में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री प्रयुक्त किए जाने एवं इस मद हेतु लागू दर–अनुसूची के विपरीत उच्चतर दर पर भुगतान किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 100.97 लाख का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत हैः–

(दर रुपये में)

कार्य का नाम	**डी0पी0आर0/ प्राविधिक/निविदा में जी0एस0बी0 की दर**	**अनुबन्धित/ अन्तिम देयक की दर**	**दर–अनुसूची के अनुसार जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री की दर**	**देयक के अनुसार आधिक्य (3-4)**	**सम्पादित मात्रा (cum)**	**अधिक भुगतान (5x6)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
बंगार से छनाण (जी0एस0बी0–1 सतह)	1238.40	1060.00	331.90	728.10	1669.09	1215264.43
(जी0एस0बी0–2 सतह)	1235.60	1055.00	331.90	723.10	1295.73	936942.36
नागणी से भाटूसैंण	1264.60	1210.00	479.40	730.60	4400.16	3214756.90
योगः–						**5366963.69**
तेवा से औतण (जी0एस0बी0–1 सतह)	1238.40	1188.48	331.90	856.58	719.04	615915.28
(जी0एस0बी0–2 सतह)	1235.60	1186.20	331.90	854.30	572.46	489052.58
थत्यूड से अज्ञारना	1020.90	1020.90	330.50	690.40	5250.62	3625028.05
योगः–						**4729995.91**
महायोग :–						**10096959.60**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदा होने के कारण यह विसंगति हुई परन्तु प्रखण्ड द्वारा अनुबन्ध में स्वीकृत कार्य मद की सामग्री एवं दरों के आधार पर कार्यस्थल पर कार्य सम्पादित एवं भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस मद का उपयोग वास्तविक रुप से मोटर मार्ग में प्रयुक्त किया गया उसी मद की दर– अनुसूची की दर से ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाना चाहिए था, जो कि इन प्रकरणों में नहीं किया गया।

अतः निर्धारित दर–अनुसूची के विपरीत उच्च दर पर भुगतान किए जाने के परिणास्वरुप ठेकेदारों को रु0 100.97 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1: बिना वनभूमि हस्तान्तरण के मोटर मार्गों के निर्माण पर रु0 295.13 लाख का व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निर्देशिका प्रस्तर 6.12 के अनुसार राज्य सरकार/जिला पंचायत की ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होगी कि प्रस्तावित सड़क कार्य आरंभ करने के लिए भूमि उपलब्ध है। प्रत्येक सड़क कार्य के प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए कि जमीन उपलब्ध है। प्रस्तर 8.4 के अनुसार डीपीआर तैयार करते समय पीआईयू ग्राम पंचायत तंत्र के जरिये स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श करेगी ताकि सर्वाधिक उपयुक्त संरेखण निर्धारित किया जा सके, जमीन की उपलब्धता (वन, भूमि सहित) के मुद्दो को हल किया जा सके। वित्तीय नियमो के अनुसार किसी भी स्वीकृत मार्ग पर तब तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि स्वीकृत लंबाई मे भूमि उपलब्ध न हो।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0 वाई0, सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी के बादशाहीथौल से सौंदकोटी-लमकोट मोटर मार्ग से संबन्धित लेखा-अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि मोटर मार्ग के स्टेज -I एवं II के लिए भारत सरकार द्वारा 8.875 किमी. लंबाई हेतु रु. 653.52 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष प्राविधिक स्वीकृति रु. 628.64 लाख प्रदान की गयी थी। मोटर मार्ग से केमवाल, लमकोट एवं सौंदकोटी की 2452 जनसंख्या को लाभान्वित किया जाना था। उक्त कार्य हेतु रु. 528.02 लाख का अनुबंध संख्या 43/ XIII/CE-URRDA/2016-17 दिनांक 02.12. 2016 को मै. महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन के साथ गठित किया गया। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारंम्भ एवं समाप्ति की तिथियॉ क्रमशः 02.12.2016 एवं 06.09.2017 थी। निर्माण कार्य रु. 295.13 लाख व्यय के साथ अपूर्ण था। आगे, जांच मे पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग के प्रारम्भिक 5.00 किमी॰ हल्का वाहन मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था तथा किमी. 8.875 मे स्थित असंयोजित वसावट लमकोट (जनसंख्या 510) का संयोजन किए जाने हेतु इस मोटर मार्ग को पी.एम.जी. एस.वाई. योजना के अंतर्गत स्टेज I एवं II के अंतर्गत लिया गया। उक्त मोटर मार्ग के किमी. 8.375 से 8.875के मध्य 0.14 हे. वनभूमि पड़ती है, उक्त वन भूमि का प्रस्ताव तैयार कर वन विभाग को भेजा गया, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है, प्रखण्ड द्वारा बिना वन भूमि हस्तान्तरण के मोटर मार्ग के अवशेष भाग मे निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया तथा रु. 295.13 लाख व्यय किए जाने के पश्चात् वन भूमि की स्वीकृति न मिलने के कारण अवरुद्व था।

इस प्रकार, बिना विवाद निस्तारण एवं वनभूमि हस्तान्तरण के निर्माण कार्य किया गया जिससे रु. 295.13 लाख न केवल अलाभकारी रहा अपितु लक्षित वसावट का संयोजन नहीं हो पाया, जिसके लिए योजना स्वीकृत की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि योजना में निर्माण हेतु एक समयावधि निश्चित है जिसके कारण निर्मित स्टेज–। के भाग में स्टेज–।। का कार्य किया गया ताकि वनभूमि की स्वीकृति पर सम्पूर्ण कार्य पूर्ण

किया जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमानुसार बिना वन भूमि हस्तान्तरण के स्वीकृत मोटर मार्ग में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए था।

अतः बिना वनभूमि हस्तान्तरण के रु0 295.13 लाख के अलाभकारी व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 दिशा–निर्देशों के विपरीत मोटर मार्गों पर रु0 5.09 लाख का अधिक एवं परिहार्य व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देशिका के पैरा 8.9 एवं 8.10 के प्रावधानों के अनुसार योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों के विस्तृत आगणन राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के लिए वार्षिक आधार पर निर्धारित राज्य दर–अनुसूची पर आधारित होना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी के बंगार से छनाण, थत्यूड से अज्ञारना, तेवा से औतण एवं नागणी से भाटूसैंण मोटर मार्गों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि बंगार से छनाण मोटर मार्ग के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0), प्राविधिक स्वीकृति के विस्तृत आगणन एवं निविदा हेतु शिड्यूल ''ब'' में बिटुमिन कार्य सील कोट ''सी'' ग्रेड बिछाने का प्रावधान किया गया था, परन्तु जो दर (रु0 70.90) ली गई वह दर सील कोट ''ए'' ग्रेड की थी। प्रखण्ड द्वारा सील कोट ''ए'' ग्रेड की दर पर ही निविदा आमंत्रित की गई, जिसके अनुरुप ठेकेदार द्वारा अपनी दर (रु0 61.00) दी गई। यदि प्रखण्ड इस मोटर मार्ग में सील कोट ''सी'' ग्रेड की दर–अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर (रु0 54.40) पर निविदा करता तो ठेकेदार उसके अनुरुप ही बोली लगाता। इस प्रकार, उच्च दर के परिणामस्वरुप रु0 68,152.46 के परिहार्य व्यय से बचा जा सकता था। इसके अतिरिक्त जॉच में पाया गया कि थत्यूड से अज्ञारना एवं तेवा से औतण मोटर मार्गों के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) एवं प्राविधिक स्वीकृति के विस्तृत आगणन में बिटुमिन कार्य सील कोट ''ए'' ग्रेड बिछाने का प्रावधान किया गया था तथा दर भी उसी के अनुरुप ली गई थी। प्रखण्ड द्वारा निविदा हेतु निर्मित शिड्यूल ''ब'' में सील कोट ''ए'' ग्रेड के स्थान सील कोट ''सी'' ग्रेड का प्रावधान कर सील कोट ''ए'' ग्रेड की दर (रु0 66.70 एवं रु0 70.90) पर निविदा आमंत्रित की गई, जिसके अनुरुप ठेकेदारों द्वारा अपनी दरें (रु0 66.70 एवं रु0 68.10) दी गई। यदि प्रखण्ड इन मोटर मार्ग में सील कोट ''सी'' ग्रेड की दर–अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों (रु0 50.80 एवं रु0 54.40) पर निविदा करता तो ठेकेदार उसके अनुरुप ही बोली लगाता। इस प्रकार, उच्च दर के परिणामस्वरुप रु0 428233.75 के परिहार्य व्यय से बचा जा सकता था।

आगे, जॉच में पाया गया कि नागणी से भाटूसैंण मोटर मार्ग के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) एवं प्राविधिक स्वीकृति के विस्तृत आगणन में बिटुमिन कार्य सील कोट ''सी'' ग्रेड बिछाने का प्रावधान किया गया था तथा दर **बी ग्रेड की** ली गई थी। प्रखण्ड द्वारा निविदा हेतु निर्मित शिड्यूल ''ब'' में सील कोट ''सी'' ग्रेड का प्रावधान कर सील कोट ''बी'' ग्रेड की दर (रु0 54.90) पर निविदा आमंत्रित की गई, जिसके अनुरुप ठेकेदार द्वारा अपनी दरें (रु0 54.00) दी गई। यदि प्रखण्ड इस मोटर मार्ग में सील कोट ''सी'' ग्रेड की दर–अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों (रु0 53. 20) पर निविदा करता तो ठेकेदार उसके अनुरुप ही बोली लगाता। इस प्रकार, उच्च दर के परिणामस्वरुप रु0 12,965.42 के परिहार्य व्यय से बचा जा सकता था।

इसप्रकार, उपरोक्त 04 मोटर मार्गों में सील कोट ''सी'' ग्रेड प्रयुक्त किए जाने एवं इस मद हेतु लागू दर–अनुसूची के विपरीत सील कोट ''ए'' एवं ''बी'' ग्रेड की दर पर भुगतान किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 5.09 लाख का अधिक एवं परिहार्य व्यय भुगतान किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि रुपये में)

कार्य का नाम	दर–अनुसूची में सील कोट "ए" ग्रेड की दर	डी0पी0आर0 / प्राविधिक / निविदा में सील कोट "सी" ग्रेड की दर	अनुबन्धित / अन्तिम देयक में सील कोट "सी" ग्रेड की दर	दर–अनुसूची के अनुसार सील कोट "सी" की दर	देयक के अनुसार आधिक्य (3-4)	सम्पादित मात्रा (cum)	अधिक भुगतान (5x6)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बंगार से छनाण	70.90	70.90	61.00	54.40	6.60	10326.13	68152.46
थत्यूड से अज्ञारना	66.70	66.70	66.70	50.80	15.90	23015.18	365941.36
तेवा से औतण	70.90	70.90	68.10	54.40	13.70	4546.89	62292.39
नागणी से भाटूसैंण	54.90	54.90	54.00	53.20	0.80	16206.77	12965.42
योगः–							**509351.63**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदा होने के कारण यह विसंगति हुई परन्तु खण्ड द्वारा अनुबन्ध में स्वीकृत कार्य मद की सामग्री एवं दरों के आधार पर कार्यस्थल पर कार्य सम्पादित एवं भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस मद एवं ग्रेड का उपयोग वास्तविक रुप से मोटर मार्ग में प्रयुक्त किया गया तो उसी ग्रेड की दर से भुगतान किया जाना चाहिए था।

अतः दिशा–निर्देशों के विपरीत मोटर मार्गों पर रु0 5.09 लाख के अधिक एवं परिहार्य व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
81/2011–12	1	–
79/2014–15	–	1
97/2016–17	–	1 एवं 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
81/2011–12	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
79/2014–15	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
97/2016–17	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	वर्ष 2008 में स्वीकृत डी0पी0आर0 के एस0ओ0 आर0 की दरों पर तीन बार निविदा की गई लेकिन किसी भी **डीलर** द्वारा निविदा नहीं डाली गई। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुनः संशोधित प्राक्कलन वर्ष 2012 की दरों पर किया गया। इसके अतिरिक्त वनभूमि में अत्यधिक बांज/बुरांश के वृक्ष होने के कारण मार्ग का संरेखण परिवर्तित करना पडा। समस्त निर्माण कार्य मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरुप सम्पादन किए गये तथा स्वीकृत लागत के अन्तर्गत सम्पन्न कराये गये।	लम्बित प्रस्तर के प्रतिउत्तर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गये। अतः प्रस्तर साक्ष्यों के अभाव में यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	भुगतान की अतिरिक्त धनराशि रु0 63,898.61 की वसूली की कार्रवाई ठेकेदार की जमा राशि से कर ली जायेगी।	वसूली लम्बित रहने के कारण प्रस्तर यथावत रहेगा।	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री अरुण कुमार नेगी	अधिशासी अभियंता	08.02.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ, **248195** देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ सामाजिक क्षेत्र